रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी , 2019

फा. सं. 02-01/इ.एन.ऍफ़.(1)/एफएसएसएआई-2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 02-01/इ.एन.ऍफ़.-1(1)/एफएसएसएआई-2012, दिनांक 15 मई, 2018 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 21 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षित नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10 के उप-विनियम 2.10.8 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'2.10.9 पेयजल (शोधित).- (1) से पैकेज बंद पेयजल और खनिज जल से भिन्न ऐसा जल अभिप्रेत है जिसे जल वेंडिंग मशीन द्वारा विक्रय या प्रस्तुत किया गया हो।

(2) पेयजल (शोधित) किन्हीं कल्को, छितरे हुए कणों, वाह्य पदार्थ के बिना और स्वच्छ होगा जो भारतीय मानक, IS:10500 की आवश्यकताओं का भी पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियमन के प्रयोजनों के लिए, "जल वेंडिंग मशीन" से विकेन्द्रीकृत जल शोधन प्रणाली अभिप्रेत है जो जल को शोधित और वितरित करती है और इसमें स्वतः उपभोग के उद्दशेय से स्थापित प्रतिष्ठापन सम्मिलित नहीं है।'।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./508/18]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यांकों द्वारा संशोधित किये गए थे; -

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा. सं. पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा. सं. पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा .सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;

(xiii) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) फा. सं॰ 3-14 एफ़/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;

(xvii) फा. सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(xviii) एफ़. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;

(xix) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;

(xx) फा. सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;

(xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

(xxiv) फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफ़ए/एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

(xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

(xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

(xxvii) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडड्र्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxix) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;

(xxx) फा. सं. स्टैंसडड्र्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।

(xxxi) फा. सं. 1/योजक/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई, 2017;

(xxxii) फा. सं. मानक/एफ़और वीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;

(xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफ़एसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;

(xxxiv) फा. सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxv) फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvi) फा. सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvii) फा. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;

(xxxviii) फा. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;

(xxxix) फा.सं.मानक/ओऔर एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;

(xl) एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;

(xli) फा. सं. ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xlii) फा. सं. 1/योजक/मानक/बी आइ एस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xliii) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी, 2018

(xliv) एफ. सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिच्ड फ़ूड)-रेग/ऍफ़ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;

(xlv) एफ. सं. 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;

(xlvi) एफ. सं. स्टैंडड्र्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;

(xlvii) स. स्टैंडड्र्स/सी पी एल एंड सी पी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 4 मई, 2018;

(xlviii) फा. सं. एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफ़िकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई , 2018;

(xlix) फा. सं. मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई , 2018;

(xl) फा. सं. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

(li) फा. सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडड्र्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;

(lii) फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;

(liii) फा. सं. मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;

(liv) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;

(lv) फा. सं. मानक/एफ़&वीपी/नोटिफ़िकेशन(04)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018; और

(lvi) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 26 नवम्बर, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January , 2019.

F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012.—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2018, was published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated the 15th May, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said official Gazette were made available to the public on the 21st May, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.10, after sub-regulation 2.10.8, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

   ‘2.10.9 Drinking Water (Purified).- (1) Means water, other than packaged drinking water and natural mineral water which is offered or sold through water vending machine.

   (2) Drinking water (purified) shall be clear without any sediments, suspended particles and extraneous matter which shall also comply with the requirements of Indian Standards, IS:10500.

   Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, “water vending machine” means decentralised water purification systems that purify and dispense waters and does not include installation intended for use of water for captive consumption.’.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./508/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:—

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;

ii. F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;

iii. F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;

iv. F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;

v. F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;

vi. F. No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;

vii. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;

viii. F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;

ix. F. No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;

x. F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;

xi. F. No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;

xii. F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;

xiii. No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

xiv. F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;

xv. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;

xvi. F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;

xvii. F. No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;

xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;

xix. F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;

xx. F. No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;

xxi. F. No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;

xxii. F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;

xxiii. F. No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;

xxiv. F. No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;

xxv. F. No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;

xxvi. F. No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;

xxvii. F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;

xxviii. F. No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;

xxix. F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;

xxx. F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;

xxxi. F. No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;

xxxii. F. No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

xxxiii. F. No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;

xxxiv. F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;

xxxv. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;

xxxvi. F. No. 1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;

xxxvii. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;

xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;

xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;

xl. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;

xli. F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;

xlii. F. No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;

xliii. F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;

xliv. F. No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;

xlv. F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;

xlvi. F. No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;

xlvii. No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;

xlviii. F. No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, dated 20th July, 2018;

xlix. F. No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, dated 20th July, 2018;

l. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, dated 31st July, 2018;

li. F. No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 8th November, 2018;

lii. F. No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, dated 16th November, 2018;

liii. F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;

liv. F. No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;

lv. F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018; and

lvi. F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.04 17:15:42 +05'30'